

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (79) वन/2022

जयपुर, दिनांक:- 11.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.8142 ha. of forest land in favour of Power Grid Corporation of India LTD, Bikaner for Construction of 400 KV D/C Quad Bikaner(PG) to Bikaner II (PS) Transmission line Length 32.547 km

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (Trans)2021/एफसीए/प्रमुवस/5857 दिनांक 04.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीकानेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में 400 केवी डी/सी क्वाड बीकानेर (पीजी) से बीकानेर II (पीएस) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 0.8142 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में राज्य सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक एफ 14 (Trans)2021/एफसीए/प्रमुवस/5857 दिनांक 04.05.2023 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.8142 ha. of forest land in favour of Power Grid Corporation of India LTD, Bikaner for Construction of 400 KV D/C Quad Bikaner(PG) to Bikaner II (PS) Transmission line Length 32.547 km की विधिवत स्वीकृति 12 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Mohali Sen
Designation: Deputy Conservator

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तर भवन, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3822152

Date: 2023.05.11 4:36:16 IST
Reason: Approved



7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रस्तावित स्थल के आस पास वन्यजीवों के आवागमन हेतु तीन अण्डर पास जो कि पूर्व निर्धारित है जिनको प्रयोक्ता एजेंसी निर्धारित मापदण्ड अनुसार (बड़े शाकाहारी वन्यजीवों के आवागमन हेतु) पुनः निर्माण करवायेगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी अपने व्यय पर वन खण्ड लोटियाझीर से सौ मीटर की दो एमपीटी का निर्माण करवायेगी
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देश की पालना करेगा।
11. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
12. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 01.03.2023 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
13. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
6. उप वन संरक्षक, बीकानेर।
7. सहायक प्रबंधक, POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, B-129 ,Kanta Khaturia Colony, Bikaner
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
of Forests

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तर भवन, राजस्थान जयपुर,

दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in Date: 2023.05.14 14:36:16 IST

RajKaj Ref No. : 3822152

Reason: Approved

